संख्याः– 243/ix-1/2021-01(01)/2020

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
परिवहन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1,   देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल, 2021

विषय– **उत्तराखण्ड प्रदेश अन्तर्गत कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर एवं सलैण्डर की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश के अन्तर्गत कोविड–19 का संक्रमण/प्रसार दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा हैं एवं प्रदेश के लगभग समस्त अस्पतालों में ऑक्सीजन सलैण्डर की मांग निरन्तर बढ़ रही है, जिस कारण जल्द ही सम्भावना है कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलैण्डर की कमी हो सकती हैं।

2– उपर्युक्त के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत् प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन की पर्याप्त और बेहतर उपलब्धता व सप्लाई हेतु **तत्काल** ऑक्सीजन टैंकर को चिहिन्त करने के साथ ही नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाईऑक्साइड के टैंकर को भी चिन्हित् कर उनकी सूची बनाते हुए परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाकर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत् प्रदेश में विभिन्न जनपद स्तर पर औद्योगिक टैंकर एवं सिलैण्डर को मेडिकल लिक्विड टेंकर एवं मेडिकल सिलैण्डर में परिवर्तन कराने तथा अस्पतालों में ऑक्सीजन के पर्याप्त एवं बेहतर सप्लाई हेतु औद्यौगिक व मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर की निगरानी (Track and Trace) हेतु परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाकर समस्त व्यवस्थाएं भी करायें।

4– प्रदेश अन्तर्गत अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त/समुचित सप्लाई हेतु टैंकर व सिलैण्डर में जो भी यथासम्भव परिवर्तन करना है उसे पूर्ण कराकर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एल.एम.ओ.) की आपूर्ति कराये जाने हेतु आप खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विभाग, औषधि प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मण्डल स्तर उक्त के शीघ्र क्रियान्वयन एवं सूचना दिये जाने हेतु कुमॉऊ मण्डल में **श्री राजीव मेहरा**, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नैनीताल (मो.नं.–9411323996) एवं गढ़वाल मण्डल में श्री सन्दीप सैनी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून (मो.नं.–7830384847) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर क्रियान्वयन की सूचना दिये जाने हेतु श्री एस.के. सिंह, उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड (मो.नं.–9690710000) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

जनपद स्तर पर उक्त के शीघ्र कियान्वयन व यथा आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का दायित्व होगा।

C S BISHT\E\D.S.Rawat\D.S.Rawat\General Letter

Scanned with CamScanner

5— तत्क्रम में कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को **यथाशीघ्र** अवगत करायें।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

संख्याः— 243(1)/ix-1/2021-01(01)/2020, तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपर्युक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—**

1. निजी सचिव—मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, औद्योगिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
7. सहायक परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
9. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(प्रेम प्रकाश आर्य)**
अनु सचिव।



Scanned with CamScanner